आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता–किशोरपुरा कोटा–09 (राज0), ईमेलः–ccffdp.kota@gmail.com दूरभाषः– 0744–2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2022/ 4588 दिनांक : 22-7-2022

निमित्त,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए राजस्थान जयपुर

विषय: Land for Extention of Bhamashah Krishi Upaj Mandi Samiti (Raj.) (Proposal No. FP/RJ/Others/20036/2016

प्रसंग: आपका ऑनलाईन ई0डी0एस0 दिनांक 16.05.2018 एवं पत्रांक एफ 14( )2016/एफसीए/प्रमुवसं/2569 दिनांक 24.05.2018 के क्रम में

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके प्रासंगिक ई0डी0एस0 दिनांक 16.05.2018 एवं पत्रांक दिनांक 24.05.2018 से लगाये गये आक्षेप की बिन्दुवार पूर्ति कर उप वन संरक्षक कोटा ने अपने पत्रांक एफ ( )उवसं/तक/2021–22/6263 दिनांक 21.07.2022 से रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित की है, जो निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	EDS	EDS Reply
1	प्रस्ताव के पार्ट 1 बिन्दु संख्या A-I(vi) में यूजर ऐजेन्सी द्वारा गैर वनभूमि का विवरण 0 अंकित किया गया है जबकि प्रस्ताव संशोधित होने के बाद 24 हैक्टर क्षेत्र गैर वनभूमि में यूजर ऐजेन्सी द्वारा अंकित किया गया है। उक्तानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक कोटा ने अपने पत्रांक दिनांक 21.07.2022 से अवगत कराया है कि यूजर ऐजेन्सी द्वारा संशोधन कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव के पार्ट 1 बिन्दु संख्या B 2.4 में यूजर ऐजेन्सी द्वारा संलग्न कम्पोनेटवाईज क्षेत्र में 38 है वनभूमि बिल्डिंग कार्य हेतु ली गई है जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 की गाइड लाईन के अनुरूप (1 है0 से अधिक क्षेत्र में बिल्डिंग हेतु) नहीं है। इसके अतिरिक्त संलग्न किये गये एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट से मिलान नही करते है।	उप वन संरक्षक कोटा ने अपने पत्रांक दिनांक 21.07.2022 से अवगत कराया है कि यूजर ऐजेन्सी द्वारा संशोधन कर बिल्डिंग कार्य के स्थान पर ऑपन प्लेटफार्म बनाना प्रस्तावित है। उक्तानुसार एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट संलग्न कर दी गई है।
3	प्रस्ताव के पार्ट 1 बिन्दु संख्या C –b (ii) में संलग्न के0एम0फाईल0 एवं DGPS मेप एक दुसरे से मिलान नही करते है। संशोधित के0एम0एल0 फाईल एवं DGPS मेप संलग्न किये जाने प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक कोटा ने अपने पत्रांक दिनांक 21.07.2022 से अवगत कराया है कि यूजर ऐजेन्सी द्वारा संशोधित के0एम0एल0 फाईल एवं DGPS मेप संलग्न कर दिये गये है।
4	प्रस्ताव के पार्ट 1 बिन्दु संख्या D में यूजर ऐजेन्सी द्वारा 74 है0 के प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में प्रस्ताव की औचित्यता दर्शायी गई है जबकि वर्तमान प्रस्ताव 96 है0 का है।	उप वन संरक्षक कोटा ने अपने पत्रांक दिनांक 21.07.2022 से अवगत कराया है कि यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तन प्रस्ताव 96 है0 का उल्लेखित कर दिया गया है।
5	प्रस्ताव के पार्ट 1 बिन्दु संख्या E में यूजर ऐजेन्सी द्वारा 100 स्थायी रोजगार सृजन होने का अंकित किया गया है किन्तु उसका विवरण हार्ड प्रति में संलग्न नही किया गया है।	उप वन संरक्षक कोटा ने अपने पत्रांक दिनांक 21.07.2022 से अवगत कराया है कि यूजर ऐजेन्सी द्वारा 100 स्थायी रोजगार सृजन होने का अंकित किया गया है और इसका विवरण हार्ड कॉपी में संलग्न भी है।
6	प्रस्ताव के पार्ट 1 बिन्दु संख्या G में यूजर ऐजेन्सी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में लागत लाभ विश्लेषण संलग्न नही किया गया है।	उप वन संरक्षक कोटा ने अपने पत्रांक दिनांक 21.07.2022 से अवगत कराया है कि यूजर ऐजेन्सी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में लागत लाभ विश्लेषण अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये है।
7	प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या K में यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन अधिकार प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है किन्तु हार्ड प्रति में 74 है0 का वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। अतः संशोधित प्रमाण पत्र मूल प्रति में संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक कोटा ने अपने पत्रांक दिनांक 21.07.2022 से अवगत कराया है कि यूजर ऐजेन्सी द्वारा संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।

8	प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या L में यूजर ऐजेन्सी द्वारा गैर वनभूमि का विवरण संलग्न किया गया है जो दो ग्रामों में आवंटन किया गया है। अतः सेंगमेंट अनुसार Kml file & Correct GT Sheet संलग्न की जानी प्रस्तावित है। जिला कलेक्टर द्वारा 96 है0 गैर वनभूमि आरक्षित किये जाने का पत्र संलग्न नही किया गया है।	उप वन संरक्षक कोटा ने अपने पत्रांक दिनांक 21.07.2022 से अवगत कराया है कि यूजर ऐजेन्सी द्वारा Kml file & Correct GT Sheet संलग्न कर दिया गया है।
9	यूजर ऐजेन्सी द्वारा संलग्न किया गया बार चार्ट सही नहीं है इसे कम्पोनेट अनुसार बनाया जाकर संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक कोटा ने अपने पत्रांक दिनांक 21.07.2022 से अवगत कराया है कि यूजर ऐजेन्सी द्वारा संशोधित बार चार्ट संलग्न कर दिया गया है।
10	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा पार्ट –II के बिन्दु संख्या 5 में अंकन नही किया गया है।	उप वन संरक्षक कोटा ने पार्ट –II के बिन्दु संख्या 5 में अंकन कर दिया है।
11	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में संलग्न नही की गई है।	उप वन संरक्षक कोटा ने स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर दी है। (Annex-2)
12	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा पार्ट –II के बिन्दु संख्या में 22 है0 क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना अवगत कराया गया है। जिसके बारे में उनके स्तर पर की गई कार्यवाही दोषी लोकसेवकों के नाम आदि सहित विस्तृत टिप्पणी दिया जाना प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक कोटा ने अपने पत्रांक दिनांक 21.07.2022 से अवगत कराया है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी लाड़पुरा द्वारा जरिये एफ.आई.आर. 56/09 दिनांक 19.09.1996 मुलजीम श्री ओ.पी. अजमेरा सहायक प्रबन्धक रिको कोटा के विरूद्व अतिक्रमण करने बाबत दर्ज की गई है।
13	उप वन संरक्षक द्वारा उक्त भूमि एन0एच0 76 में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के अन्तर्गत जारी शर्त संख्या जिसमें एन0एच076 के 1 कि0मी0 की परिधि में ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम द्वारा निर्देशित किया गया है उक्त प्रस्तावित वनभूमि ग्रीन बेल्ट के अन्तर्गत आती है। उप वन संरक्षक ने भी भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपेक्षित संशोधन कराये जाने के उपरान्त ही प्रत्यावर्तन किया जाना उचित बताया है। उप वन संरक्षक द्वारा इस संबंध में अत तक किये गये कार्य का विवरण संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक कोटा ने अपने पत्रांक दिनांक 21.07.2022 से अवगत कराया है कि ग्रीन बेल्ट अन्तर्गत वनभूमि में कराये गये कार्य का विवरण संलग्न है।
14	मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पार्ट –III एवं स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नही है।	पार्ट–III एवं स्थल निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में संलग्न कर दिया है।
15	यूजर ऐजेन्सी प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में फलूड लगाया जाकर हार्ड प्रति के साथ संलग्न किये गये है जो उचित नही है। प्रस्ताव में एक प्रति में मूल दस्तावेज एवं तीन प्रति अतिरिक्त जिसमें सभी दस्तावेजों पर यूजर ऐजेन्सी/उप वन संरक्षक के हस्ताक्षर किये जाने प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक कोटा ने अपने पत्रांक दिनांक 21.07.2022 से अवगत कराया है कि पुनः नये दस्तावेज हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किये है।
16	प्रस्तुत की गई हार्ड प्रति में ऑनलाईन प्रस्ताव के सभी दस्तावेज संलग्न नही किये गये है।	उप वन संरक्षक कोटा ने अपने पत्रांक दिनांक 21.07.2022 से अवगत कराया है कि संबंधित सभी दस्तावेज संलग्न कर दिये गये है।

अतः प्राप्त रिपोर्ट कार्यालय की सहमति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मनोज पाराशर)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांकःएफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2022/ दिनांक :

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक कोटा को उनके पत्रांक 6263 दिनांक 21.07.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

मुख्य वन संरक्षक वा.वि.प्र.
आवक सं. 4211
दि. 24/07/22

|| कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा (राज.) ||

(Nayapura, Civil Lines Kota Tel / Fax No. 0744-2322747 Email ID-dcf.kota.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांक–एफ ( )उवसं/तक./ 2021–22/ 6263 दिनांकः 21/07/22
निमित्त:–

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषयः - **LAND FOR EXTENTION OF BHAMASHAH KRISHI UPAJ MANDI SAMITI**
संदर्भ:–**BHAMASHAH KRISHI UPAJ MANDI SAMITI,KOTA** के पत्रांक 697 दिनांक 11.06.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि,उक्त संबंध मे लगाये गये आक्षेपो की पूर्ति कर प्रेषित है।

FCA
22/7/22

1.	प्रस्ताव के पार्ट 1 बिंदु संख्या A-1 (vi) में यूजर एजेन्सी द्वारा गैर वन भूमि का विवरण 0 अकिंत किया गया है जबकि प्रस्ताव संशोधित होने के बाद 24 हेक्टर क्षैत्र गैर वन भूमि में यूजर एजेन्सी द्वारा अकिंत किया गया है।उक्तानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	संशोधन कर दिया गया है।
2.	प्रस्ताव के पार्ट 1 बिंदु संख्या B 2.4 में यूजर एजेन्सी द्वारा संलग्न कम्पोनेंटवाईज क्षैत्र में 38 हैo वन भूमि बिल्डिंग कार्य हेतु ली गई है जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 की गाइड लाईन के अनुरूप (1 है0 से अधिक क्षेत्र मे बिल्डिंग हेतु) नही है।इसके अतिरिक्त संलग्न किये गये एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट से मिलान नही करते है।	संशोधित कर बिल्डिंग कार्य के स्थान पर ऑपन प्लेटफार्म बनाना प्रस्तावित है।उक्तानुसार एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट संलग्न कर दी गई है।
3.	प्रस्ताव के पार्ट 1 बिंदु संख्या C-b (ii) में संलग्न के.एम.एल. फाइल एवं DGPS मेप एक दुसरे से मिलान नही करते है।संशोधित के.एम.एल. फाईल एवं DGPS मेप संलग्न किये जाने प्रस्तावित है।	संशोधित के.एम.एल. फाईल एवं DGPS मेप संलग्न कर दिये गये है।
4.	प्रस्ताव के पार्ट 1 बिंदु संख्या D में यूजर एजेन्सी द्वारा 74 है0 के प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ मे प्रस्ताव की औचित्यता दर्शायी गई है जबकि वर्तमान प्रस्ताव 96 है0 का है।	यूजर एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तन प्रस्ताव 96 है0 का उल्लेखित कर दिया गया है।
5.	प्रस्ताव के पार्ट 1 बिंदु संख्या E में यूजर एजेन्सी द्वारा 100 स्थायी रोजगार सृजन होने का अंकित किया गया है। किंतु उसका विवरण हार्ड प्रति में संलग्न नही किया गया है।	100 स्थायी रोजगार सृजन होने का अंकित किया गया है और इसका विवरण हार्ड कॉपी में भी प्रस्तुत किया गया है।
6.	प्रस्ताव के पार्ट 1 बिंदु संख्या G में यूजर एजेन्सी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में लागत लाभ विश्लेषण संलग्न नही किया गया है।	प्रस्ताव के पार्ट 1 बिंदु संख्या G में यूजर एजेन्सी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में लागत लाभ विश्लेषण अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये है।
7.	प्रस्ताव के पार्ट 1 बिंदु संख्या K में यूजर एजेन्सी द्वारा वन अधिकार प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है किंतु प्रति में 74 है0 का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है अतः संशोधित प्रमाण पत्र मूल प्रति में संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।

8.	प्रस्ताव के पार्ट 1 बिंदु संख्या L में यूजर एजेन्सी द्वारा गैर वन भूमि का विवरण संलग्न किया गया है दो ग्रामो मे आवंटन किया गया है।अतः सेंगमेंट अनुसार KML file & corrected GT sheet संलग्न की जानी प्रस्तावित है। जिला कलेक्टर द्वारा 96 है0 गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने का पत्र संलग्न नही किया गया है।	KML file & corrected GT sheet संलग्न कर दी गई है। जिला कलेक्टर द्वारा 96 है0 गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने का पत्र संलग्न कर दिया गया है।
9.	यूजर एजेन्सी द्वारा संलग्न किया गया बार चार्ट सही नही है। इसे कम्पोनेट अनुसार बनाया जाकर संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	संशोधित बार चार्ट संलग्न कर दिया गया है।
10.	उप वन संरक्षक कोटा पार्ट II के बिंदु संख्या 5 में अंकन नही किया गया है।	अंकन कर दिया गया है।
11.	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में संलग्न नही की गई है।	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में संलग्न कर दी गई है।(Annexure-2)
12.	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा पार्ट II के बिंदु संख्या में 22 है0 क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना अवगत कराया गया है। जिसके बारे में उनके स्तर पर की गई कार्यवाही दोषी लोकसेवको के नाम आदि सहित विस्तृत टिप्पणी दिया जाना प्रस्तावित है।	क्षेत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा द्वारा जरिये एफ. आई. आर. 56/09 दिनांक 19.09.1996 मुलजीम श्री ओ. पी. अजमेरा सहायक प्रबन्धक रिको कोटा के विरुध अतिक्रमण करने बाबत् दर्ज की गई है।
13.	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा उक्त भूमि एन.एच.76 मे जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति के अन्तर्गत जारी शर्त जिसमें एन.एच.76 के 1 किमी0 की परिधि मे ग्रीन बेल्ट के रूप मे विकसित किये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है उक्त प्रस्तावित वन भूमि ग्रीन बेल्ट के अन्तर्गत आती है। उप वन संरक्षक ने भी भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपेक्षित संशोधन कराये जाने के उपरान्त ही प्रत्यावर्तन किया जाना उचित बताया है। उप वन संरक्षक द्वारा इस संबंध में अब तक किये गये कार्य का विवरण संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	ग्रीन बेल्ट अन्तर्गत वनभूमि में कराये गये कार्य का विवरण सलंग्न है।
14.	मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पार्ट III एवं स्थल रिपोर्ट संलग्न नही है।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
15.	यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो मे फलूड लगाया जाकर हार्ड प्रति के साथ संलग्न किये गये है जो उचित नही है। प्रस्ताव में एक प्रति में मूल दस्तावेज एवं तीन प्रति अतिरिक्त जिसमे् सभी दस्तावेज पर यूजर एजेन्सी/उप वन संरक्षक के हस्ताक्षर किये जाने प्रस्तावित है।	पुनः नये दस्तावेज हस्ताक्षर कर प्रस्तुत कर दिये गये है।
16.	प्रस्तुत की गई हार्ड प्रति मे ऑनलाइन प्रस्ताव के सभी दस्तावेज संलग्न नही किये गये है।	सभी दस्तावेज संलग्न कर दिये गये है।

भवदीय

उप वन संरक्षक,
कोटा